संख्या:– 1188/उन्तीस/04/02–(37पे0)/2004

प्रेषक,

अर्जुन सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तरांचल जल संस्थान
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादून: दिनांक 17 अगस्त, 2004

विषय वाणी विहार भगत सिंह कालोनी,देहरादून पेयजल योजना की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक 384/धनावंटन/2004–05 दिनांक–01–05–2004 एवं पत्रांक 482/ग्रा0यो0देहरादून(शासन)/2004–05 दिनांक 13.05.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणी विहार भगत सिंह कालोनी पेयजल योजना के स्रोत सम्वर्द्धन के आगणन अनु0लागत रू0 98.46 लाख के परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी रू 94.66 लाख (रू0 चौरानबे लाख छियासठ हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो , की स्वीकृति नियमानुसार आगणन/मानचित्र पर अधीक्षण अभिन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

क्रमशः 2

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग /विभाग द्वारा प्रचलित दरों /विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य की समयबद्धता एंव गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(7) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरुप कार्य किया जाए।

(8) आगणन मे जिन मदो हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है ,उसी मद पर व्यय किया जाए,एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए।

(9) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(10) निमार्ण सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर परचेज नियमो का पालन करना सुनिश्चित करें।

(11) उक्त योजना की अनुमोदित लागत के विपरीत वित्तीय स्वीकृति पृथक से शासन की सहमति से दी जायेगी।

(12) स्वीकृत लागत के अन्तर्गत सेन्टेज आदि व्यय निर्धारित सीमा के अन्तर्गत ही लिये जायेंगे।

2 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 750/वित्त अनु0–3/2004 दिनांक 16 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या:– 1188/उन्तीस/04/02–(37पे0)/2004,तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–महालेखाकार, उत्तरांचल देहरादून।
2–मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3–जिलाधिकारी, देहरादून।
4– महाप्रबन्धक उत्तरांचल जल संस्थान,पौडी।
5–अधिशासी अभियन्ता, जलकल, उत्तरांचल जल संस्थान,देहरादून का इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों के विवरण को नोट करने हेतु निर्देशित करें।
6–निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री।
7–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ट।
8–निदेशक,एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(अर्जुन सिंह)
संयुक्त सचिव